न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्री राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 20/2018

उनवान

रामदेव पुत्र छोटू जाति माली निवासी ग्राम रामसर, नसीराबाद
–– वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री हीरालाल माली

बनाम

1. रामलाल पुत्र महावीर जाति भणभुजा निवासी ग्राम रामसर, नसीराबाद
2. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

–– प्रतिवादीगण :– 1 जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी,
2 जरियें राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सपठित धारा 131 व 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :– दिनांक :– 25.3.2021

वादी ने उक्त वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम रामसर के वंर्किग खसरा नम्बर 6817 हाल खसरा नम्बर 8245 रकबा 1.09 का नक्शा चौकोर है। जिसका रकबा वंर्किग नक्शे के अनुसार सही है किन्तु हाल राजस्व मानचित्र में प्रतिवादी संख्या 1 के खसरा नम्बर 8246 को बडा करते हुये अन्य टुकडा 2256/1090 बना दिया, जो कि वादी की खातेदारी भूमि को तोडते हुये बनाया है तथा त्रुटिपूर्ण है। अतः हाल खसरा नम्बर 8245 का नक्शा वंर्किग नक्शें के अनुसार दुरूस्त किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि हाल खसरा नम्बर 8245 वादी की खातेदारी की है जिसका राजस्व मानचित्र मौके व राजस्व रेकार्ड अनुसार सही बना हुआ है। उक्त राजस्व मानचित्र में त्रुटि नही है। जवाबकर्ता का खेत खसरा नम्बर 8246 भी मानचित्र में सही दर्शाया है। वादी व प्रतिवादी के खेत का रकबा पूर्व मानचित्र अनुसार सही है। वादी ने यह स्पष्ट नही किया है कि खसरा नम्बर 8245 की कौन सी दिशा छोटी की गयी है व कितना रकबा कम किया है। वादी को अपने वाद में स्पष्ट किया जाना चाहिये था कि कौन सी भुजा का नाप कम है व कितना नाप कम है। वादी ने प्रतिवादी के खेत पर कब्जा करने की नियत से उक्त वाद पेश किया है। अतः वाद सव्यय खारिज किया जावे।

राज0 पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि हाल खसरा नम्बर 8245 रकबा 1.09 वादी की खातेदारी में दर्ज है। किन्तु खसरा नं. 6817/1090 नक्शे में बनाया जाना अस्वीकार है। इसके स्थान पर नक्शा व जमाबंदी में बनाया गया है 8246/10590 दर्ज है जोकि वादी के नाम खातेदारी दर्ज है। वादी के खेत का आकार नक्शे में छोटा नही किया गया है। हाल खसरा नम्बर 8246 रकबा 1.89 का नक्शे में आकार बडा है तथा आकार व पैमाइश अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.09.24 13:56:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

...रा नम्बर 8246 का रकबा 2.26 बनता है। खसरा नम्बर 8246 के साबिक खसरा नम्बर ...15 6816, 6818 का कुल रकबा 1.89 था व पूर्व नक्शा की तुलना में हाल नक्शा बडा है।

...करण में वाद व जवाब दावे के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गयी :–

1. आया वादीगण वादग्रस्त आराजी के गलत व त्रुटिपूर्ण वर्तमान नक्शा ट्रेस के दुरूस्ती के अधिकारी है ?

— वादी

2. आया वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्ति के अधिकारी है ?

— वादी

3. आया वादग्रस्त आराजी के गलत व त्रुटिपूर्ण वर्तमान नक्शा ट्रेस नही होने से वाद खारिज योग्य है ?

— प्रतिवादी संख्या 1

4. अनुतोष ?

वादी व प्रतिवादी अधिवक्ता ने प्रकरण में कोई साक्ष्य पेश नही करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण प्रार्थी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया। तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :–

तनकी संख्या 1 व 3 :–

हाल खसरा नम्बर 8245 रकबा 1.09 रामदेव पुत्र चौथू के नाम दर्ज है। जबकि वाद में वादी का नाम रामदेव पुत्र छोटू अंकित है। हाल खसरा नम्बर 8246 रकबा 1.89 प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी में दर्ज है। इन दोनो खसरा नम्बर के बीच में स्थित खसरा नम्बर 8246/10589 रकबा 0.24 भी रामदेव पुत्र चौथू के नाम खातेदारी दर्ज है। हाल खसरा नम्बर 8246/10590 व 8245 के वंर्किग खसरा नम्बर 6817 है जिसका रकबा हाल रकबे के अनुसार 1.33 दर्ज है। हाल खसरा नम्बर 8246 के वंर्किग खसरा नम्बर 6818, 6816 व 6818 है जिसका रकबा 1.89 दर्ज है। वादी का कथन है कि हाल राजस्व मानचित्र में एक अन्य टुकडा 8246/10590 बना दिया तथा वादी के खेत का रकबा कम कर दिया किन्तु वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी में उक्त खसरा नम्बर भी वादी की खातेदारी मे ही दर्ज है। वादी ने अपने वाद में स्पष्ट नही किया है कि हाल राजस्व मानचित्र में वादी के खातेदारी खेत की कौन सी भुजा का नाप कितना कम कर दिया है। साथ ही वादी ने वाद के समर्थन में कोई साक्ष्य भी पेश नही की है। राज0 पैरोकार ने अपने जवाब में कथन किया है कि वादी के खेत का रकबा सही दर्ज है। राज0 पैराकार ने अपने जवाब में यह भी अंकित किया है कि प्रतिवादी के खेत का रकबा ज्यादा दर्ज है। किन्तु यदि वादी के खेत का रकबा सही दर्ज है तो प्रतिवादी के खेत का बढा हुआ रकबा किस खसरा नम्बर का है। इस प्रकार स्पष्ट है कि राज0 पैरोकार का जवाब वाद में अंकित तथ्यों से परे है। हाल खसरा नम्बर 8246/105900 खसरा नम्बर 8245 व 8246 के बीच में स्थित है जो कि वादी के नाम दर्ज है। उक्त खसरा नम्बर के नक्शें बाबत वादी ने कोई कथन नही किया है। वादी के कथनों की ताईद वाद में उपलब्ध दस्तावेज से नही होती है। हाल राजस्व मानचित्र त्रुटिपूर्ण सिद्व नही होता है। तनकी संख्या 1 व 3 विरूद्व वादी बहक प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2 :–

तनकी संख्या 1 व 3 के विवेचन के अनुसार वादी हाल राजस्व मानचित्र में दुरूस्ती का अधिकारी नही है। वादी अपने खातेदारी खेत के नक्शे को त्रुटिपूर्ण सिद्व करने में असफल रहा है राज0 पैरोकार ने अपने जवाबमें वादी के खेत का रकबा नक्शें में सही बताया है। अतः वादी विरूद्व प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्ति का अधिकारी नही है। तनकी संख्या 2 विरूद्व वादी बहक प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.09.24 13:56:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

अतः ग्राम रामसर के हाल खसरा नम्बर 8245 रकबा 1.09 की आराजी पर वादी का "खारिज" किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.09.24 13:56:05 IST
Reason: SelfAttested